तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 180/2021 बअनवान रामदीन बनाम सहायक अभियंता इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.12.2024

उपस्थिति

1. श्री स्वरूपराम बामणिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोविन्दसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. दो

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2021 अनवान रामदीन बनपाम ए.ई.एन. पीडब्ल्यूडी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि खसरा नं. 22 का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा ग्राम झालामलिया से ग्रामत गोदावास की तरफ जाने वाली गेवल सड़क पर सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा गैर मुमकिन सड़क खसरा नं. 195 हैक्टेयर के दोनो तरफ जमीन न लेकर बिना माप चौक किये केवल अपीलांट के खेत में 10 फीट तक अंदर आकर सड़क

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्माण पर आमादा है तथा उसके पश्चात अलग से पट्टी बनाने पर उतारू है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी उसके पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। न्याय हित में सड़क के दोनो तरफ बराबर-बराबर जमीन ली जाकर सड़क निर्माण करवाया जाना आवश्यक है, जिस पर अपीलांट भी सहमत है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वह ताफैसला मूल वाद अपीलांट की भूमि खसरा नं. 22 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा गैर मुमकिन सड़क पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे साबित हो कि सड़क उसके खेत में निर्मित हो रही है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो अदालत हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नक्शा किस्तवार ग्राम झालामलियां तहसील भोपालगढ के मुताबिक अपीलांट की भूमि खसरा नं. 22 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे गैर मुमकिन रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 180/2021 बअनवान रामदीन बनाम सहायक अभियंता इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का खसरा नं. 195 अवस्थित है। अपीलांट के कथनानुसार उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर पूर्व में ग्रेवल सड़क बनी हुई है, जिस पर वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा डामरीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। अपीलांट का उज है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा गैर मुमकिन रास्ते से हटकर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 22 में अंदर करवाया जा रहा है।

रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा खसरा नं. 195 गैर मुमकिन रास्ता में पूर्व में बनी ग्रेवल सड़क के संरेखण के सहारे-सहारे उसके मध्य बिंदु से दोनो तरफ समान दूरी की चौड़ाई रखते हुए सड़क निर्माण करवाये जाने के बजाय अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 22 में बिना अवाप्ति की प्रक्रिया के सड़क निर्माण करवाय जाता है तो अपीलांट को क्षति होना संभाव्य है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 180/2021 बअनवान रामदीन बनाम सहायक अभियंता इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट संख्या एक खसरा नं. 195 गैर मुमकिन रास्ता में पूर्व में बनी ग्रेवल सड़क के संरेखण के सहारे-सहारे उसके मध्य बिंदु से दोनो तरफ समान दूरी की चौड़ाई रखते हुए सड़क निर्माण करने हेतु स्वतंत्र है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	